उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–275 / 2022

नित्यानंद दूबे..............................वादीगण।

बनाम्

गणेश दूबे उर्फ मुरमुर दूबे वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

10.03.2026 वादी अनुपस्थित है प्रतिवादी की पैरवी है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर वादी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 05.04.2023 के आदेश का पालन आजतक नहीं किया गया है तथा वादी को वाद में उचित पैरवी हेतू कई बार अंतिम अवसर दिया गया है। किन्तु वादी द्वारा आजतक कोई पैरवी नहीं किया गया और ना ही कोई उचित कदम उठाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गया है, जब कि वाद वर्ष 2022 से लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को और अधिक समय के लिए लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)